रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24052022-236005
CG-DL-E-24052022-236005

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371]	नई दिल्ली, मंगलवार, मई 24, 2022/ज्येष्ठ 3, 1944
No. 371]	NEW DELHI, TUESDAY, MAY 24, 2022/JYAISHTHA 3, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2022

सं. 30/2022-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 392(अ).—वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित वस्तुओं, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (इसके बाद 'सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की प्रथम अनुसूची के अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद के अंतर्गत आती हों, के एक वित्तीय वर्ष में उल्लिखित वस्तुओं के कुल आयात की मात्रा में, जैसा कि नीचे कॉलम (4) में निर्दिष्ट है (इसके बाद 'टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) मात्रा' के रूप में संदर्भित), जब भारत में आयात हो, इस अधिसूचना के अनुबंध में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के तहत उस पर लगाया जाने वाला संपूर्ण सीमा शुल्क और वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की उक्त धारा के अंतर्गत लगाए जाने वाले संपूर्ण कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर से छूट देती है, अर्थात्: -

सारणी

क्र. सं.	उप शीर्षक या टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) मात्रा प्रति वित्तीय वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1507 10 00	कच्चा सोयाबीन तेल, चाहे डिगम्ड हो या नहीं	20,00,000 मीट्रिक टन
2.	1512 11 10	सूरजमुखी के बीज का कच्चा तेल	20,00,000 मीट्रिक टन

अनुबंध

शर्त
(क) हैंडबुक ऑफ़ प्रोसीजर 2015-20 में निर्दिष्ट प्रासंगिक प्रक्रिया के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा आयातक को टीआरक्यू आवंटित किया गया हो;
(बी) टीआरक्यू प्राधिकरण में आयातक का नाम और पता, आईईसी कोड, सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या, उप-शीर्षक या टैरिफ आइटम जैसा लागू हो, मात्रा और प्रमाण पत्र की वैधता अवधि शामिल होगी;
(सी) टीआरक्यू प्राधिकरण विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा और आईसीईएस प्रणाली को प्रेषित किया जाएगा;
(डी) आईसीईएस सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेबिट करने पर ही टीआरक्यू के खिलाफ किए गए आयात की अनुमति दी जाएगी।

2. यह अधिसूचना 25 मई, 2022 को लागू होगी और इस अधिसूचना में निहित कुछ भी 31 मार्च, 2024, के बाद उपरोक्त सारणी के क्रमांक 1 और 2 के समक्ष निर्दिष्ट माल पर लागू नहीं होगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/128/2022-टीओ (टीआरयू-I)]

जैनेंद्र सिंह कंधारी, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2022

No. 30/2022-Customs

G.S.R. 392(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description specified in column (3) of the Table below, falling under the sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the 'Customs Tariff Act'), as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, in such quantity of total imports of such goods in a financial year, as specified in column (4) below (herein after referred to as the 'Tariff Rate Quota (TRQ) quantity'), when imported into India, from the whole of the customs duty leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act and from the whole of the Agriculture Infrastructure and Development Cess leviable thereon under the said section of the Finance Act, 2021, subject to the condition specified in the Annexure to this notification, namely: -

TABLE

Sl. No.	Sub-heading or tariff item	Description of goods	Tariff Rate Quota (TRQ) quantity per financial year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1507 10 00	Crude Soya-bean oil, whether or not degummed	20,00,000 MT
2.	1512 11 10	Crude Sunflower seed oil	20,00,000 MT

Annexure

Condition
(a) The TRQ is allotted to the importer by the Directorate General of Foreign Trade, in accordance with the relevant procedure as specified in the Hand Book of Procedures, 2015-20;
(b) The TRQ authorization shall contain name and address of the importer, IEC code, Customs notification No., sub-heading or tariff item as applicable, quantity and validity period of certificate;
(c) The TRQ authorization shall be issued electronically by the Directorate General of Foreign Trade and transmitted to ICES system;
(d) Imports made against the TRQ shall be allowed only upon debiting electronically in the ICES system.

2. This notification shall come into force on the 25th day of May, 2022, and nothing contained in this notification shall apply to the goods specified against serial number 1 and 2 of the Table above after the 31st day of March, 2024.

[F. No. CBIC-190354/128/2022-TO(TRU-I)]

JAINENDRA SINGH KANDHARI, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.05.24 23:20:14 +05'30'